वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 385

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सीपीएम)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा /प्रे. 35 दि. 5.4.07

आदेश

विषयः ओलावृष्टि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के बिलिंग माह नवम्बर–06, दिसम्बर–06, जनवरी–07 एवं फरवरी–07 के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि. / अ.प्र.नि. / मु.अ.(सीपीएम) /अ.अ. (आर.ए.वा.)/फा/प्रे.2585 दिनांक 01.03.07 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/377) के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में आंशिक संशोधन करते हुये लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को दी जा रही बिल माफी की सुविधा बिलिंग माह नवम्बर–06 एंव दिसम्बर–06 पर भी लागू होगी। पूर्व में यह सुविधा उक्त आदेश के तहत दो बिलिंग माह जनवरी–07 एवं फरवरी–07 के लिये ही थी। आदेश क्रमांक 2585 दिनांक 01.03.2007 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/377) में वर्णित समस्त नियम एवं शर्ते यथावत् रहेगी। उक्त चार माह के बिलों की राशि का पुर्नभरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा विद्युत निगमों को किया जाएगा।

जिन लघु एवं सीमान्त काश्तकारों ने उपरोक्त बिलिंग महीनों के बिलों की राशि जमा करा दी हो तो उस राशि को उनके आगामी बिलों में समायोजित कर लौटा दी जावे। जैसा कि पूर्व में भी लिखा जा चुका है कि दी गई छूट की राशि की ग्रामवार एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित की जावे। मुख्य लेखाधिकारी इस सम्बंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुर्नभरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुर्नभरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर